खान आयुक्त का न्यायालय, बिहार

अपील वाद संख्या–20 / 2025

जिला–नवादा

मेसर्स पूनम इन्टरप्राइजेज ... वादकर्ता

बनाम

समाहर्त्ता, नवादा एवं अन्य ... प्रतिपक्ष

आदेश

27.01.2026

A. वर्तमान अपील मेसर्स पूनम इन्टरप्राइजेज द्वारा समाहर्त्ता, नवादा के आदेश ज्ञापांक–5023, दिनांक–17.11.2025 के विरूद्ध दायर किया गया है।

B. (1) मामले की पृष्ठभूमि यह है कि नवादा जिलान्तर्गत बालूखण्ड–04 (कुंज बालूघाट), रकवा–98.4 हे0 की बंदोबस्ती के लिए दिनांक–28.11.2022 को सम्पन्न ई–नीलामी में मेसर्स पूनम इन्टरप्राइजेज सुरक्षित जमा राशि ₹8,85,60,000 / – के विरूद्ध ₹34,53,84,000 / – की बोली लगाकर उच्चतम डाकवक्ता घोषित किये गये एवं EMD (अग्रधन की राशि) को समायोजित कर शेष प्रतिभूति राशि का भुगतान करने के पश्चात दिनांक–07.12.2022 को सैद्वांतिक स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया।

(2) बालूघाट में पुल निर्माण होने के कारण Terms of reference (TOR) प्राप्त नहीं हो पाने की स्थिति में बालूघाट के संशोधित रकवा (50 हे0) के अनुसार प्रथम वर्ष की समानुपातिक बंदोबस्ती राशि निर्धारित करते हुए दिनांक–07.03.2024 को संशोधित स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया।

(3) अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक–13.08.2025 तक पर्यावरणीय स्वीकृति, CTE/CTO प्राप्त कर लिया गया, परन्तु प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं करने एवं पट्टा निष्पादन नहीं करने के कारण समाहर्त्ता, नवादा के आदेश ज्ञापांक–5023, दिनांक–18.11.2025 से प्रतिभूति राशि जब्त एवं सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश प्रतिसंहृत (Revoke) कर लिया गया।

(4) अपीलकर्त्ता द्वारा समाहर्त्ता, नवादा के इसी आदेश को वर्तमान अपील में चुनौती दी गई है।

C. अपीलकर्त्ता द्वारा समर्पित तथ्य एवं विधि के बिन्दु –

(1) उनके द्वारा सभी अनापत्ति प्राप्त की गई है एवं दिसम्बर, 2022 में ही ₹8,63,46,000/– जमा की गई है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्त्ता बंदोबस्ती स्वीकार करने से इंकार कर रहे हैं।

(2) बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–28 के तहत प्रतिभूति राशि जब्त की गई है, जो बालूघाट के मामले में लागू नहीं होता है।

(3) समाहर्त्ता, नवादा द्वारा उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु कारण पृच्छा किए बिना सुनवाई का मौका दिए बगैर आदेश पारित किया गया है, जो सही नहीं है।

(4) मूल सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश (पत्रांक–3513, दिनांक–07.12.2022) के अनुसार प्रतिभूति राशि ₹8,63,46,000/– थी, किन्तु संशोधित सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश (पत्रांक–579, दिनांक–07.03.2024) से प्रतिभूति राशि ₹17,55,00,000/– का 25% अर्थात ₹4,38,75,000/– होती है एवं उनका (₹8,63,46,000–4,38,75,000) ₹4,24,71,000/– विभाग के पास जमा है। प्रथम वर्ष की बंदोबस्ती का प्रथम किस्त (50% बंदोबस्ती राशि का) ₹8,77,50,000/– है। यदि अधिक जमा राशि ₹4,24,71,000/– प्रथम किस्त की देय राशि में से कम किया जाय तो मात्र ₹4,52,79,000/– भुगतेय थी।

(5) बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–29(B)(4) के तहत भुगतान में चूक की स्थिति में 24% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज का प्रावधान है, इसलिए उनपर CTO की तिथि 13.08.2025 से ₹4,52,79,000/– पर ब्याज लगाया जा सकता है।

(6) वह ₹4,52,79,000/– का भुगतान कर घाट संचालन के लिए तैयार है, किन्तु ब्याज भुगतान से उन्हें छूट दी जाए।

D. खनिज विकास पदाधिकारी, नवादा द्वारा समर्पित तथ्य एवं विधि के बिन्दु –

(1) सक्षम प्राधिकार द्वारा दिनांक–13.08.2025 को CTO निर्गत करने के पश्चात जिला खनन कार्यालय, नवादा के पत्रांक–1850, दिनांक–30.08.2025, समाहरणालय, नवादा के पत्रांक–2059, दिनांक–18.09.2025, जिला खनन कार्यालय, नवादा के पत्रांक–8030, दिनांक–06.10.2025, पत्रांक–4011, दिनांक–22.10.2025 एवं पत्रांक–4853, दिनांक–01.11.2025 से अपीलकर्त्ता को वांछित किस्त/अन्य देय कर की राशि का भुगतान करते हुए एकरारनामा विलेख प्रारूप उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, किन्तु अपीलकर्त्ता द्वारा न तो कोई राशि का भुगतान किया गया और न ही इस संबंध में काई पत्राचार

किया गया। कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण समाहर्त्ता, नवादा द्वारा आदेश ज्ञापांक–5023, दिनांक–18.11.2025 पारित किया गया है।

E. विवेचना –

1. (i) बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–29(B)(2) के तहत बालूघाट के सफल डाकवक्ता को विहित प्रपत्र 'ख' में समानुदान विलेख निष्पादित करना है। नियम–28 (1) में प्रावधान स्पष्ट है कि –

"इस नियमावली के अधीन जहाँ खनिज समनुदान दिया गया हो, वहाँ सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश के 180 दिनों के अन्दर प्रपत्र 'ख' में समाहर्त्ता द्वारा औपचारिक पट्टा निष्पादित किया जाएगा और यदि जिस व्यक्ति को खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है, वह व्यक्ति उपर्युक्त अवधि के अन्तर्गत निष्पादन के लिए अपेक्षित कागजात पेश करने में चूक जाता है, तो खनन पट्टा स्वीकृति आदेश प्रति संहृत समझा जायेगा और उस हालत में आवेदन शुल्क और प्रतिभूति जमा राशि जप्त हो जायेगी;

परंतु ऐसा कोई भी पट्टा तब तक निष्पादित नहीं किया जायेगा जब तक कि जिस व्यक्ति को ऐसा पट्टा स्वीकृत किया गया है, इस नियमावली के अधीन यथा अपेक्षित खनन योजना तथा पर्यावरणीय अनापत्ति समर्पित नहीं कर देता;

परन्तु यह और कि जहाँ समाहर्त्ता को यह समाधान हो जाता है कि जिस व्यक्ति को ऐसा पट्टा स्वीकृत किया गया है, वह औपचारिक पट्टा के निष्पादन में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं है तो वह (समाहर्त्ता) 180 दिनों की उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी औपचारिक पट्टा के निष्पादन की अनुमति प्रदान कर सकेगा"

अतएव नियम–28 के प्रावधान सभी लघु खनिजों के लिए लागू होता है।

(ii) नियम–81 के अनुसार Interpretation of Mining Lease के मामले में समाहर्त्ता का विनिश्चय अंतिम एवं बाध्यकारी है।

(iii) निविदा दस्तावेज की कंडिका–19(iii) में यह पूर्व शर्त्त निर्धारित थी कि *"उच्चतम निविदादाता/डाकवक्ता द्वारा बन्दोबस्ती लेने से इन्कार करने या निर्धारित अवधि में अन्य औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करने पर या असफल रहने पर उनकी जमा अग्रधन/प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जायेगी एवं अगले 02 वर्ष के लिए निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा"।* अपीलकर्त्ता द्वारा यह शर्त्त स्वीकार कर ही निविदा में भाग लिया गया था।

(iv) बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–28(1), जिससे बालूघाटों के शीघ्र संचालन हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है, की सफल डाकवक्ता को CTE/CTO प्राप्त होने के अधिकत्तम 7 (सात) दिनों के अन्दर प्रथम किस्त एवं सभी वैधानिक स्वीकृति के साथ एकरारनामा निष्पादन के लिए जिला समाहर्त्ता के समक्ष प्रस्तुत करना है। विभागीय अधिसूचना संख्या–1731, दिनांक–10.05.2024 के अनुसार समय–सीमा का पालन नहीं करने पर नियमानुसार प्रतिभूति राशि जब्त करने एवं सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश प्रतिसंहृत करने की कार्रवाई का प्रावधान है।

(v) अपीलकर्त्ता द्वारा मात्र अपील आवेदन में अस्वस्थ रहने के कारण राशि जमा नहीं करने की बात कही है। उनके द्वारा समाहर्त्ता के समक्ष और अवधि प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध पत्र समर्पित किया गया हो, का उल्लेख नहीं है। खनिज विकास पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त अभिलेख में भी इस तरह का कोई आवेदन नहीं पाया गया है।

2. (i) अपीलकर्त्ता द्वारा बालूघाट के रकवा संशोधित (कम) होने के कारण निर्धारित प्रथम वर्ष की बंदोबस्ती राशि के अनुरूप अधिक जमा प्रतिभूति राशि को जमा किए जाने वाले प्रथम किस्त की राशि में समायोजित करने के पश्चात शेष राशि जमा कर बालूघाट संचालन को तैयार होने की बात कही गई है।

(ii) बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के नियम–29(ख)(1) में निम्न प्रावधान है :–

"**29 ख (1) – प्रतिभूति जमा का भुगतान** – *लघु खनिज के रूप में बालू का प्रत्येक बन्दोबस्तधारी, बन्दोबस्ती के निबंधन एवं शर्त्तो के सम्यक् अवलोकन के लिए प्रतिभूति जमा राशि के रूप में नीलामी राशि के 25 (पच्चीस) प्रतिशत के समतुल्य राशि जमा करेगा, जो सक्षम पदाधिकारी (नियमावली में यथा परिभाषित) द्वारा बन्दोबस्ती अवधि की समाप्ति के बाद लौटायी जाएगी, यदि बंदोबस्तधारी भुगतान में अन्यथा व्यतिक्रमी न हो।*"

(iii) वर्त्तमान मामले में बालूघाट का रकबा कम होने के कारण नीलामी राशि/प्रथम वर्ष की बंदोबस्ती राशि समानुपातिक रूप से जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में समानुपातिक राशि के अनुरूप ही प्रतिभूति राशि देय होता है।

(iv) हालांकि अपीलकर्त्ता द्वारा समाहर्त्ता के समक्ष कभी भी अधिक जमा प्रतिभूमि राशि को समायोजित कर प्रथम किस्त की राशि जमा करने की

अनुमति देने का अनुरोध नहीं किया गया। उनके द्वारा सीधे अपील आवेदन में ही यह माँग रखी गई है।

3. (i) बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–29(ख)(3) के अनुसार बंदोबस्तधारी को पहले वर्ष के लिए प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) का भुगतान पट्टा संविदा निष्पादन से पहले करना है। बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–29(ख)(4) के अनुसार विहित तिथि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में वार्षिक 24 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जाना है। इसलिए ब्याज की छूट के संबंध में अपीलकर्त्ता की माँग मान्य योग्य नहीं है।

(ii) समाहर्त्ता, नवादा द्वारा दिनांक–17.11.2025 का आदेश पारित करने से पूर्व अपीलकर्त्ता को सुनने का मौका मिला अथवा नहीं, इससे संबंधित कोई साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं पाया गया है। हालांकि समाहर्त्ता, नवादा का पत्रांक–2859, दिनांक–18.09.2025, जिससे अपीलकर्त्ता को प्रथम किस्त की राशि के साथ एकरारनामा विलेख प्रारूप एवं अन्य दस्तावेज समर्पित करने का निदेश दिया गया है अन्यथा स्वीकृति आदेश प्रतिसंहृत करने एवं प्रतिभूति राशि जब्त करने का नोटिस दिया गया है, अभिलेख में संधारित है।

(iii) चूँकि अपीलकर्त्ता द्वारा सूद समेत राशि जमा कर बालूघाट संचालन की अनुमति का अनुरोध किया गया है। सहायक निदेशक (मु0) द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत बालूघाट की पुर्नबंदोबस्ती नहीं हुई है।

(iv) अतएव राजस्व हित में CTO प्राप्ति की तिथि (13.08.2025) से तीन दिन के बाद अर्थात तिथि (13.09.2025) से अपील दायर करने की तिथि 12.12.2025 तक प्रथम किस्त की राशि (प्रतिभूति राशि के रूप में अधिक जमा राशि को समायोजित कर) नियमानुसार सूद समेत जमा कर पट्टा निष्पादन कराने की अनुमति दी जाती है। आवेदक द्वारा उक्त राशि का भुगतान दिनांक–05.02.2026 तक सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाए।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/–
(दिवेश सेहरा)
खान आयुक्त, बिहार

ह0/–
(दिवेश सेहरा)
खान आयुक्त, बिहार

ज्ञापांक :– 651 /एम0, दिनांकः– 27/01/26

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, नवादा/ खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, नवादा/ मेसर्स पूनम इन्टरप्राइजेज, प्रो0–श्री संतोष कुमार, पिता–देवशरण साव, पता–गोनावाँ रोड, हरनौत, चेरण, जिला–नालन्दा, पिन–803110, ईमेल–poonamenterprises4191@gmail.com/आई0 टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.1.26

विधि पदाधिकारी